श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर - 4 MAY 2022

पोनेछा/2021-22/99

दिनांक 04/05/2022

अतिआवश्यक परिपत्र

विषय :- वर्ष 2021-22 हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के नवीन विद्यार्थियो को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन आवश्यक दस्तावेजो सहित जमा करने बाबद।

अनुसूचति जाति/जनजाति के विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक 2021-22 में जमा किये शिक्षण शुल्क की वापसी चाहते है, राज्य शासन द्वारा सीधे विद्यार्थियो के बैंक खाते में जमा की जावेगी इस हेतु बैंक खाते को आधार से लिंक कराना आवश्यक है।

A) विद्यार्थियो के माता पिता की वार्षिक आय के अनुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियम निम्नानुसार है :-

क	वर्ग	माता/पिता की वार्षिक आय	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क हेतु पात्रता
1	अनुसूचित जाति/जनजाति	रु 2,50,000/- तक	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क आदि नियमानुसार
2	अनुसूचित जाति/जनजाति	रु 2,50,001/- से 6,00,000/- तक	केवल शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति नही

B) पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन फार्म आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट www.mptaas पर जमा करना अनिवार्य है, जिसकी हार्ड कापी निम्नलिखित दस्तावेजो सहित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (लेखा विभाग) में **दिनांक 13/05/2021** तक जमा करे, जिसके अभाव में छात्रो को शिक्षण शुल्क इत्यादि कि प्रतिपूर्ति की पात्रता नही रहेगी।

C) अनुसूचति जाति/जनजाति के विद्यार्थियो के आवेदन स्वीकृती हेतु आदिवासी विकास कल्याण (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्दौर को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा। इस हेतु आवेदन के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :-

1) बैंक खाता नम्बर की पास बुक की फाटो कापी जो आधार कार्ड से लिंक हो।
2) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :- एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य।
3) उत्तीर्ण अंक सूची :- विगत दो वर्षो की अंक सूची की फोटो कापी (10वी व 12वी)
4) अनुसूचति जाति/जनजाति के विद्यार्थियो के आय प्रमाण पत्र हेतु
   अ) तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
   ब) शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो, वर्ष 2020-21 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनो कार्यरत हे तो दोनो का अलग-अलग फ्मार्म 16 ए प्रमाण पत्र।
5) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
6) एडमिशन स्लीप/चालान/अलॉटमेन्ट लेटर की छाया प्रति संलग्न करे।
8) हितग्रही प्रोफाईल पंजीयन कि प्रति।
9) आधार कार्ड व समग्र आय.डी. कि प्रतिलिपि।
10) अगर विद्यार्थी संस्थान के छात्रवास में रहता है छात्रावास का www.mptaas पर आवेदन कर उसकी हार्ड कापी व वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चालान साथ में जमा करे।

D) समस्त विद्यार्थियो की 75 प्रतिशत से अधिक अपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान संभव नही है।

E) उल्लेखनिय है कि राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति न करने या कम होने पर अंतर राशि संबधित विद्यार्थिया द्वारा वहन कि जावेगी।

कृपया समस्त विद्यार्थी सावधानीपूर्वक नोट करे।

निदेशक
Director
Shri G. S. Institute of Technology & Science, Indore

प्रतिलिपि :- 1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल।
2) संस्थान की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।